

>

Title: Introduction of the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत):** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. शशि थरूर

**DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM):** I would like to object, Sir, but I would like to say ...(*Interruptions*)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** महोदय, हम वॉक आउट करते हैं।

**12.16 hrs**

*At this state Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Dr. Shashi Tharoor and some other hon. Members left the House.*

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**श्री थावर चंद गहलोत:** मैं विधेयक पुरस्थापित\*\* करता हूँ।

**12.16 ½ -hrs**

